राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1386/2024

दीपमाला यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं जन कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. चिकित्सा अधिक्षक, हरीबक्श कांवटिया चिकित्सालय, शास्त्री नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप सक्सेना, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में फार्मासिस्ट के पद पर हरिबख्श कावंटिया चिकित्सालय, शास्त्री नगर, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी ने इस अपील में प्रार्थी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में मानते हुए निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को विधि–विरूद्ध तरीके से एपीओ किया गया है। अपीलार्थी को एपीओ करने के लिए चिकित्सा अधीक्षक समक्ष अधिकारी नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी को पूर्व में दिनांक 04.01.2021 के द्वारा कावंटिया चिकित्सालय में मंगल सिंह मीणा के स्थान पर पदस्थापित किया गया था और मंगल सिंह मीणा को प्रा.स्वा.केन्द्र निवाणा, गोविन्दगढ जयपुर में अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया था। मंगल सिंह मीणा के पक्ष में कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 19.01.2021 पारित होने के आधार पर मंगल सिंह मीणा को कावंटिया चिकित्सालय में पदस्थापित रखा गया। जिसके पश्चात अब अपीलार्थी को अधिशेष माना गया है, जो गलत है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी दिनांक 04.01.2021 के आदेश से कावंटिया चिकित्सालय में पदस्थापित हुई है। यह भी प्रकट हुआ है कि वर्तमान में मंगल सिहं मीणा भी उसी पद पर कार्यरत है। इस प्रकार दो व्यक्ति एक ही पद पर वर्ष 2021 से कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को सही करने के लिए अपीलार्थी को प्रार्थी संख्या 3 द्वारा कार्यमुक्त कर अपनी उपस्थिति निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर के समक्ष देने के निर्देश दिये गये हैं। अपीलार्थी का पदस्थापन निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर द्वारा नये सिरे से किया जाएगा, जो कि अपीलार्थी के पदस्थापन करने के लिए सक्षम अधिकारी है। अपीलार्थी को अधिशेष माना गया है, जिसे आदेशों की प्रतीक्षा में रखकर अपनी उपस्थिति निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर के दिये जाने के आदेश दिया गया है, जो नये स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिशेष कर्मचारियों को निदेशक के समक्ष उपस्थित होने के लिए दिये गये निर्देश विधि–विरूद्ध है या उसके लिए चिकित्सा अधीक्षक समक्ष अधिकारी नहीं हो।
5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम आलोच्य आदेश दिनांक 12.03.2024 में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)